न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी:— हेमराज गुर्जर RAS

प्रकरण संख्या— 84 / 2018 दायर दिनांक:—12.10.2018

जीसीएमएस नं0 2018 / 00240

1. सियाराम पुत्र गिल्हारी उम्र 60 साल
2. जगमोहन पुत्र गिल्हारी उम्र 48 साल
3. उर्मिला पुत्री गिल्हारी उम्र 40 साल
4. सुशीला पुत्री गिल्हारी उम्र 50 साल
5. विमला पत्नि बाबूलाल उम्र 50 साल
6. श्यामसिंह पुत्र बाबूलाल उम्र 30 साल

जाति—नाई, निवासी—ढिंढोरा, तहसील—हिण्डौन, जिला—करौली, (राज0)

———सायलान—06

बनाम

1. बनैसिंह पुत्र परमोली उम्र 65 साल जाति नाई निवासी ढिंढोरा तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली (राज0)

———गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित—1. श्री अशोक नीमनका अधिवक्ता सायल

2. श्री सीताराम गुर्जर अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक:—

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 1856 रकबा 46 ऐयर, 1858 रकबा 11 ऐयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.57 है0 वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील हिण्डौन जिला करौली में स्थित है।

भूमि मुतजिका मद नं0 2 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में सायलान व गैरसायल अपने अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं। सायल संख्या 1 का 1/20 हिस्सा सायल संख्या 2 का 1/20 हिस्सा है तथा सायल नं0 3 व सायला संख्या 4 का हिस्सा 1/20 है तथा सायल संख्या 5 [illegible] संख्या 6 का 1/40 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:20:07 IST
Reason: SelfAttested

सायलान व गैरसायल ने भूमि मुतजिका [illegible] नं0 2 प्रार्थना प[illegible] वर्णित आराजीयात का अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है और बाहमी बंटवारे के अनुसार भूमि को काश्त करते चले आ रहे हैं। सायलान ने अपने हिस्से की भूमि में बाजरे की फसल काश्त की थी जो सायलान ने ही दरोह की है।

गैरसायल अत्यन्त चालाक किस्म का व्यक्ति है जो सायलान के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है औरन बाहमी बंटवारे को इंकार करता है। भूमि वादग्रस्त का न्यायालय द्वारा अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है इस कारण गैरसायल विधिवत बंटवारा के अभाव में भूमि पर झगडा फसाद करता रहता है।

वाका दिनांक 30.09.2018 को अपने हिस्से की भूमि में सायलान जोत लगवाने के लिए गये तो गैरसायल मौके पर झगडा करने की नियत से आ गया और सायलान के हिस्से की भूमि में मजाहमत मदखलत करने लगा तथा बाहमी बंटवारा को मानने से भी इंकार करने लगा। सायलान के समझाने पर झगडा करने पर आमादा हुआ और सायलान को एलानिया धमकी दी कि तुम्हारा इस भूमि में कोई हिस्सा नहीं है मैं समस्त भूमि पर कब्जा करके रहूँगा और तुम्हें बेदखल करूंगा। भूमि को दीगर व्यक्तियों को रहन वय करके कब्जा करा दूँगा। गैरसायल ने इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए एक गिरोह बना रखा है और गैरसायल अपने उद्देश्य में सफल हो गया तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी। सायलान को अपने हिस्से की भूमि से वंचित रहना पडेगा जिससे सायलान बच्चे भखों मर जायेंगे। गैरसायल सायलान के समझाने पर अज खुद मानने को तैयार नहीं है। इस कारण उसके विरूद्ध प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। गैरसायल को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने में कोई क्षति किसी भी प्रकार से नहीं है जबकि पाबंद न किये जाने में सायलान को अपूर्तनीय क्षति है जिसकी पूर्ति द्रव्य में होना संभव नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि गैरसायल को दौराने दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस अमर के लिए पाबंद फरमाया जावे कि आराजी खसरा नं0 1856 रकवा 46 ऐयर, 1858 रकवा 11 ऐयर कुल किता 2 कुल रकवा 0.57 ऐयर बारके ग्राम ढिंढोरा तहसील हिण्डौनसिटी सायलान के हिस्से की भूमि में कोई मजाहमत मदाखलत पैदा नहीं करे और सायलान को बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करे भूमि को रहन वय करके दीगर व्यक्तियों का कब्जा नहीं कराये। सायलान को तरीके से अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने देवे तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे कि सायलान के हितों पर कोई विपरीत असर पडे। ऐसा कोई कार्य किसी अन्य से नहीं कराये। रिकार्ड व मौके की स्थिति को यथावत बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:20:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान की ओर से को श्री सीताराम गुर्जर अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया एवं 20.01.2020 को जवाब पेश किया जो निम्नानुसार हैः—

1. प्रार्थना पत्र का मद न0 1 अनुसार सायलान द्वारा निराधार तथ्यों पर दावा पेश करना स्वीकार है, परन्तु उक्त दावा कतई गलत एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर बिना किसी अधिकार व औचित्य के पेश होने से सायलान को सफलता मिलना कल्पना मात्र है।
2. मद न0 2 प्रार्थना पत्र स्वीकार है।
3. मद न0 3 प्रार्थना पत्र जिस प्रकार से बयान किया गया है, गलत है और अस्वीकार है। भूमि वर्णित मद न0 2 प्रार्थना पत्र पर सायलान का कोई कब्जा काश्त नहीं है। और ना ही किसी प्रकार से कभी रहा है। भूमि वर्णित मद न0 2 प्रार्थना पत्र का गैरसायल बनैसिंह ही खातेदार काश्तकार है और अपने पिता परमोली के समय से ही विवादित भूमि पर काबिज होकर बदस्तुर काश्त करता चला आ रहा है।
4. मद न0 4 प्रार्थना पत्र गलत है और स्वीकार नहीं है। भूमि वर्णित मद न0 2 प्रार्थना पत्र पर मौके पर कोई बंटवारा नहीं हो रहा है और ना ही किसी बाह्मी बंटवारे के आधार पर पक्षकारान काबिज है। सायलान का यह कथन कतई गलत है कि बाह्मी बटवारे के आधार पर प्राप्त भूमि में सायलान ने बाजरे की फसल काश्त कर दरोह किया है। सायलान का यह कथन भी गलत है कि गैरसायल अत्यन्त चतुर चलाक किस्म का व्यक्ति हो और विधिवत बंटवारे के अभाव में झगडा—फसाद करता हो, सही बात यह है कि विवादित भूमि के किसी भी भाग से सायलान का कोई वास्ता किसी प्रकार का नहीं है और ना ही कभी रहा है।
5. मद न0 5 प्रार्थनापत्र गलत है और स्वीकार नहीं है। दिनांक 30.09.2018 को या किसी भी दिन किसी भी [समय] इस मद में वर्णित कोई वार्तालाप/वातावरण सायलान व गैरसायल के मध्य नहीं हुआ है। सायलान विवादित आराजीयात पर जोत लगवाने कभी नहीं गये। विवादित भूमि से जब सायलान का कोई वास्ता या कब्जा काश्त ही नहीं है तो उनके द्वारा जोत लगवाने व गैरसायल द्वारा झगडा—फसाद करने एवं गैरसायल द्वारा अवैध

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:20:07 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा करने का कथन मिथ्या एवं बनावटी है। सायलान को कोई अपूर्तनीय क्षति किसी भी प्रकार का नहीं पहुंच रही है।

6. मद न0 6 प्रार्थना पत्र गलत है और स्वीकार नहीं है। सायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नही रही है। बल्कि गैरसायल को पाबंद किये जोन से उसे बमुकबले सायलान अत्यधिक क्षति होगी, जिसकी पूर्ति द्रव्य में होना संभव नहीं है।

7. मद न0 7 प्रार्थना पत्र गलत है और स्वीकार नहीं है। प्रथम दृष्टया केस सायलान के पक्ष में साबित न होकर गैरसायल के पक्ष में बखुबी साबित है।

8. मद न0 8 प्रार्थना पत्र गलत है और स्वीकार नहीं है।

9. मद न0 8 प्रार्थना पत्र गलत है और स्वीकार नहीं है।

जबाव शामिल पत्रावली किया गया

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 690, वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ पेश किये है।

उभयपक्ष वक़ील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है, साथ ही गैरसायलान वकील द्वारा अपनी बहस में जबाब प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए सायल का प्रार्थना पत्र बावत अस्थायी निषेद्याज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया है।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में जमाबंदी संवत जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 690, वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ खातेदारी सायलान व गैरसायल के नाम दर्ज रिकार्ड है पक्षकारान के अधिकार दावे में तय होने हैं ऐसी स्थिति में विवादित आराजी खसरा नं0 1856 रकबा 46 ऐयर, 1858 रकबा 11 ऐयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.57 ऐयर बाके ग्राम ढिंढोरा तहसील हिण्डौनसिटी को विवादित आराजी पर यथास्थिति बनाये रखने हेतु गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस प्रकार सायलान का प्राईमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने पर उन्हें कोई क्षति किसी प्रकार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:20:07 IST
Reason: SelfAttested

होने की कोई सम्भावना नहीं है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान को दौराने दावा पेचिदगियाँ पैदा नहीं हों, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विरूद्ध गैरसायलान बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 212 के तहत प्रकरण मे दिनांक 12.10.2018 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा न0 1856, 1858 वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ की रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति ताफैसला दावा तक बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 19/11/2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 19/11/24
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:20:07 IST
Reason: SelfAttested